राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक : एफ9 ( )परावि/भण्डार/सीमित निविदा/2019–20/49 जयपुर, दिनांक :04.3.2020

सीमित निविदा सूचना

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज) जयपुर सचिवालय स्थित कार्यालय में जी. एस.टी. पंजीकृत फर्मों से मोहरबन्द सीमित निविदायें आमंत्रित की जाती है:–

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	निविदा प्रपत्र शुल्क (रू.में)	बयाना राशि (रूपये में)
1.	स्टेशनरी व अन्य सामान	1.65 लाख	100/–	3300/–

निर्धारित सीमित निविदा प्रपत्र दिनांक 11.3.2020 दोपहर 12.00 बजे तक बेची जाकर मध्यान्ह पश्चात 2.30 बजे तक जमा की जा सकेगी तथा दिनांक 11.3.2020 को सायं 4.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। विभागीय वेबसाईट www.rajpanchayatr.gov.in से भी डाउनलोड किए जा सकते है एवं निविदा सूचना www.sppp.raj.nic.in पर भी देखी जा सकती है। विभागीय वेबसाईट से डाउनलोड किए गए निविदा–प्रपत्र की शुल्क राशि रूपये 100/ का बैंकर चैक/ड्राफ्ट जो कि आहरण एवं वितरण अधिकारी, पंचायती राज विभाग, जयपुर के नाम देय हो संलग्न करना होगा। बयाना राशि का बैंकर चैक/ड्राफ्ट आहरण एवं वितरण अधिकारी, पंचायती राज विभाग, जयपुर के नाम देय संलग्न करना होगा। एक फर्म द्वारा केवल निविदा एक निविदा प्रस्तुत की जावेगी। निविदा से संबंधित समस्त अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेंगे।

(एल. एल. पहाडिया)
कार्यालयाध्यक्ष एवं
संयुक्त निदेशक (मो0)

क्रमांक : एफ9 ( )परावि/भण्डार/सीमित निविदा/2019–20/ दिनांक :

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव एंव निदेशक, पंचायती राज विभाग।
2. उपनिदेशक /ए.सी.पी को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. स्टोर प्रभारी सहायक लेखाधिकारी रोकड को एस.पी.पी. पोर्टल पर अपलोड करवाने हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।

कार्यालयाध्यक्ष एवं संयुक्त निदेशक

राजस्थान सरकार
पंचायती राज विभाग
स्टेशनरी प्रदाय के लिए

क्रमांक– दर रूपये 100/–

सीमित निविदा –प्रपत्र

निविदा प्रस्तुत करने को अंतिम दिनांक– 11.3.2020

समय – दोपहर 2:30 बजे तक

खोलने का दिनांक– 11.3.2020

समय – सांय 4:30 बजे

स्थान – पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवं पूरा पता एवं टेलीफोन नं0 ________________________________
____
____

2. निविदा किसको सम्बोधित की गई है – विशिष्ठ शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. सन्दर्भ निविदा सूचना क्रमांक–एफ9( ) परावि/भण्डार/स्टेशनरी/2019–20/ दिनांक–
4. निविदा के साथ बोली प्रतिभूति राशि रूपये 3300/– रूपये की डी.डी. संलग्न करनी होगी।
5. फर्म द्वारा आदेश प्राप्त होने के 07 दिवस में कार्य प्रारंभ करना होगा ।
6. डीलर/विनिर्माता आदि का घोषणा पत्र भी संलग्न किया जाना है।
7. निविदा प्रपत्र में अंकित सामान की मात्रा में कमी या बढोतरी आवश्यकता के अनुसार की जा सकती है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

स्टेशनरी मद आईटम–

क0सं0	आइटम	दर प्रति नग	जी.एस.टी.	कुल
1.	फोटो स्टेट पेपर एफ/5			
2.	फोटो स्टेट पेपर ए/4			
3.	फाईल लैस 924 नं0			
4.	व्हाइट करेक्शन पैन (कोरास)			
5.	फाईल पैड़ 15x10 (20 से 21)			
6.	फाईल कवर हार्ड बोर्ड			
7.	पेन्सिल			
8.	Calculater			
9.	शार्टहेण्ड नोट बुक 200 पेज			
10.	जैंम क्लिप			
11.	कार्यालय टिप्पणी एक लाईन			
12.	एड जेल अचिवर पेन			
13.	बाल पेन (फाईन ग्रीप पेन)			
14.	बाल पेन रिफिल(फाईन ग्रीप पेन)			
15.	फाईल टेग			
16.	प्लास्टिक फोल्डर एल फोल्डर ए/4 एल फोल्डर ए/5			
17.	स्लीप पेड			
18.	स्टेपलर मशीन 10 नं.			
19.	स्टेपलर पिन 10 नं0			
21	लेन केबिल 3 मीटर			
22	कम्प्यूटर माउस			
23	स्पाइलर डायरी			
24	हाई लाईटर			
25	फलेग पैकेट तीन कलर			
26	ग्लू स्टिक			
27	स्टाम्प पेड इंक			
29	स्टाम्प पेड			
30	रिसिप्ट रजिस्टर 600 पेज			
31	रजिस्टर लाईन दार			
32	रबर			
33	शापर्नर			

34	डाक पेड			
35	टेपरोल 2 इंच ब्राउन रंग।			
36	कांच के गिलास (पानी पीने के गिलास)			
37	खाकी के लिफाफे (छोटे) 9*4 75 gsm			
38	खाकी के लिफाफे (बड़े) 11*5 75 gsm			
39	स्केल 12 इंच			
40	प्रिन्टर डेटा केबल 3 मीटर			
41	Key board			
42	साधारण बाल पेन			

नोटः– जीएसटी की दरें As applicable देय होगी। निविदादाता द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि बिक्री दिवस (Date of bill) के दिन प्रचलित दरों का दावा करने के लिए दायी होगा।

निविदाता के हस्ताक्षर

समिति निविदा के लिए निविदा एवं संविदा की शर्तें

(देखिये नियम 68)

टिप्पणी:– निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानी पूर्वक पढना चाहिए तथा अपनी निविदाऐं भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए।

1. निविदाओं को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करना चाहिये।
2. **अधिकृत / वास्तविक डीलरों (Bonafide dealers) द्वारा निविदाऐं :–**
   निविदाऐं मालों के वास्तविक डीलरों द्वारा ही दी जायेगी। अतः वे एस. आर. प्रारूप 11 में एक घोषणा प्रस्तुत करेंगे।
3. (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना केता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जायेगा।
   (ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों को ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिये बाध्य नहीं हो जाते एवं केता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिये ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सबको बाध्य करेंगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिये पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होंगी।
4. GST पंजीयन एवं शोधन प्रमाण पत्र (Clearance certificate) कोई कोई भी डीलर जहां उसका व्यवसाय स्थित है, यदि राज्य में प्रचलित GST अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह निविदा नहीं देगा। GST पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिये तथा संबंधित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकारी से GST शोधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा तथा इसके बिना निविदा को रद्द कर दिया जायेगा।
5. निविदा प्ररूप स्याही से भरा जायेगा या टंकण से भरा जायेगा। पैंसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
6. दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जायेंगी। इसमें कोई त्रुटियाँ (Errors) एवं /या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियाँ करनी हो तो स्पष्ठ रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिये। दरों में GST राशि को पृथक से दिखाना चाहिये।

निविदादाता के हस्ताक्षर

7. सामान्य वित्तीय एवं लेखा अनुभाग की अधिसूचना दिनांक 19 नवम्बर, 2015 के अनुसार प्रकाशित अनुसूची 1 में उल्लेखित माल/सामग्री के संबंध में सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा प्रकाशित दरें प्रस्तुत करने पर उन पर प्राथमिकता से विचार किया जावेगा।

8. दरें गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. उद्धत की जानी चाहिये तथा उसमें सभी अनुषंगिक (Incidental) प्रभारों को शामिल करना चाहिये। किन्तु , GST को शामिल न करके इन्हें अलग से दिखाया जाना चाहिये। स्थानीय प्रदायों (सप्लाईज) के मामले में दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिये तथा सरकार द्वारा कोई गाडी भाडा (कार्टेज) या परिवहन प्रभारों का सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा तथा माल की सुपुर्दगी क्रेता अधिकारी के परिसरों पर दी जायेगी। खरीदे जाने वाले माल कार्यालयों के उपयोग के लिये होते है, इन पर चुंगीकर (ऑक्ट्राय) एवं स्थानीय करों को शामिल नहीं किया जायेगा। पूर्व की दशा में विहित प्रारूप में एक प्रमाण पत्र सप्लाई आदेश के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।
9. दरों की तुलना : राजस्थान के बाहर की फर्मों द्वारा तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मों द्वारा, जो नियमों के अन्तर्गत मूल्य अधिमान के लिये अधिकृत नहीं है निविदत्त दरों की तुलना करने में GST की राशि को शामिल नहीं किया जायेगा।
10. मूल्य अधिमान : मूल्य अधिमानता/अधिमानता राजस्थान के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों पर या राजस्थान के बाहर उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों की तुलना में भण्डार क्रय (राजस्थान के उद्योगों को अधिमानता) नियम, 1995 के अनुसार दी जायेगी।
11. विधि मान्यता : निविदाये उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिये विधि मान्य होगी।
12. अनुमोदित प्रदायकर्ता (सप्लायर) के लिये यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की दशा, स्पेसीफिकेशन, साईज, मेक एवं ड्राईंग आदि की सावधानी पूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों के किसी भाग, स्पेसीफिकेशन, ड्राईंग आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
13. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या उप–भाडे (सबलेट) पर नहीं देगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

14. विशेष विवरण (स्पेसीफिकेशन) :

(i) प्रदाय की गई सभी वस्तुऐं निविदा में निर्धारित स्पेसीफिकेशन, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होंगी तथा जहां पर वस्तुओं की आई.एस.आई. स्पेसीफिकेशन के अनुसार अपेक्षा की गई हो, उन मदों को पूर्ण रूप से उन स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होना चाहिए तथा उस पर वह मार्क होना चाहिए।

(ii) तारा चिन्ह से अंकित/क्रम संख्या .... पर अंकित वस्तुओं का प्रदाय, अन्य बातों के साथ, अनुमोदित नमूनों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य पदार्थों के मामलें में जहां कोई स्वीकृत या अनुमोदित नमूना न हो, अत्युत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जावेगा। क्रेता अधिकारी/क्रेता समिति का इस संबंध में कि क्या प्रदाय की गई वस्तुऐं स्पेसीफिकेशन के अनुरूप है, तथा या वे सैम्पल, यदि कोई हो, के अनुसार है, किया गया निर्णय निविदादाताओं के लिये अन्तिम एवं मान्य होगा।

(iii) वारंटी एवं गारंटी का खंड : निविदादाता यह गारन्टी देगा कि माल/स्टोर्स/वस्तुऐं खरीदे जाने वाले उस माल/स्टोर्स/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के लिये यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया हो एवं/या उन्हें अनुमोदित कर दिया हो, यदि .... दिनांक/माहों की उक्त अवधि में, उकत मालों/स्टोर्स/वस्तुओं की उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गये है (तथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम व परिणामी) तो क्रेता उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाये जायेंगे, रद्द करने के लिये अधिकृत होगा। ऐसे रद्द किये जाने पर माल/स्टोर्स/वस्तुऐं विक्रेता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को या उसके उस भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है बदल देगा, अन्यथा निविदादाता ऐसी क्षति के लिये भुगतान करेगा जो इसमें दी गई शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गई कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

(iv) मशीनों एवं उपकरणों के मामले में भी, उक्त खण्ड (iii) में उल्लिखित किये गये अनुसार गारंटी दी जायेगी तथा निविदादाता गारंटीकृत अवधि में पुर्जों को बदलेगा या किसी भी विनिर्माण की कमी को दूर करेगा। यदि उक्त अवधि में उन्हें वैसा पाया जायेगा ताकि मशीन एवं उपकरण ठीक काम कर सके। निविदादाता मशीनों एवं उपकरणों को भी बदलेगा यदि वे ऐसे दोषपूर्ण पाये जाये कि विनिर्माण की त्रुटि आदि के कारण उन्हें काम में नहीं लिया जा सकता हो।

(v) क्रेता अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट मशीन एवं उपकरण के मामले में निविदादाता ऐसी शर्तों पर जो उनके बीच स्वीकार की जायेगी, वार्षिक रख–रखाव (मेन्टेनेन्स) एवं मरम्मत करने के लिये उत्तरदायी होगा। निविदादाता किसी विशिष्ट प्रकार की मशीनरी के लिए आवश्यक स्पेयर पार्ट्स एवं उपकरणो की नियमित समुचित सप्लाई करने के लिए उत्तरदायी होगा। उपकरणों की वार्षिक रख–रखाव व मरम्मत की दर संविदा के अधीन हो या अन्यथा हो। मॉडल में परिवर्तन के मामले में वह क्रेता अधिकारी को पर्याप्त समय पूर्व सूचना देगा। क्रेता अधिकारी अपनी मशीनों एवं उपकरणों को पूर्ण रूप से कार्यकारी दशा में रखने के लिए उनसे स्पेयर पार्ट्स खरीदना पसन्द कर सकेगा।

15. निरीक्षण : (क) क्रेता अधिकारी या उसका विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी युक्तियुक्त उचित समयों पर प्रदायकर्ता के परिसर में जाएगा तथा वह विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद जैसा भी निश्चय किया जाएगा, किसी भी समय मालों/उपकरणों/मशीनों की सामग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जांच करने की शक्ति रखेगा।

(ख) निविदादाता अपने कार्यालय के परिसर, गोदाम एवं वर्कशाप का, जहाँ पर निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्ण पता, उस व्यक्ति के नाम व पते के साथ देगा जिससे उस प्रयोजन के लिए सम्पर्क करना होगा। उन डीलरों के मामलों में जो व्यवसाय में नए रूप में प्रविष्ठ हुए है, उन्हें बैकर्स से एक परिचय–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

16. सप्लाई जब भी प्राप्त की जाएगी उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे स्पेसीफिकेशन्स के अनुरूप है। जहां आवश्यक हो या विहित किया गया हो या व्यावहारिक हो, वहां परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों जैसी श्री राम टेस्टिंग हाउस, नई दिल्ली एवं तत्समान परीक्षण गृहों में कराया जाएगा तथा जहां पर सप्लाई किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप विहित स्पेसीफिकेशन्स के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा, उन्हें स्वीकार किया जाएगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

17. परीक्षण प्रभार : परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किए जाएगें। यदि निविदादाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता हो या यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात होता हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तरों या स्पेसीफिकेशन्स के अनुसार नही है, तो परीक्षण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएगें।

18. रद्द करना : (i) निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नहीं की जाएगी उन्हें रद्द किया जाएगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा।

(ii) तथापि, यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण, पूर्ण या आंशिक रूप में उन वस्तुओं को बदलना साध्य (feasable) नहीं समझा जाए, तो क्रेता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित कि जाएगें, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अन्तिम होगी।

19. रद्द की गई वस्तुओं को निविदादाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिवस के भीतर हटा लेगा, इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी प्रकार की हानि कमी या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे निविदादाता की जोखिम एवं उसके लेखे पर उन वस्तुओं को जिन्हें वह उचित समझे बेचने का अधिकार होगा।

20. निविदादाता उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सडक या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता की माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सकें। किसी प्रकार की हानि, क्षति, टूटफूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी के होने के मामले में, निविदादाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रीयों की जांच/निरीक्षण किए जाने पर पायी गयी ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी।

21. प्रदाय हेतु संविदा को यदि माल की सप्लाई क्रेता अधिकारी की सन्तुष्टि के अनुसार नहीं की जाती है, तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत (repudiate) कर सकता है। यह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों अभिलिखित करेगा।

22. निविदादाता का उसके प्रतिनिधि की ओर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक ही अनर्हता (disqualification) होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

23. (i) सुपुर्दगी अवधि :– निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जाएगी, वह सप्लाई आदेश की तारीख से .... की अवधि के भीतर .... तक निम्न प्रकार सामान की सप्लाई करने की व्यवस्था करेगा।

क.सं.	मद	मात्रा	सुपुर्दगी अवधि

(ii) मात्रा की सीमा – आदेश को फिर से देना :– यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिए आदेश दिया जाता है, तो निविदादाता अपेक्षित सप्लाई की पूर्ति करने के लिए बाध्य होगा। पुनः आदेश (Repeat Orders) भी निविदा में दी गयी शर्तों पर दिए जा सकेंगे। परन्तु शर्त यह कि ऐसे पुनरादेश मूल रूप से खरीदी गयी मात्रा की 50 प्रतिशत तक की सप्लाई के लिए ही होंगे तथा ऐसे आदेश देने की अवधि अन्तिम माल प्रदाय करने के दिनांक से एक माह से अधिक बाद की नहीं होगी। यदि निविदादाता, ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहता है तो क्रेता अधिकारी अवशेष सामान की सप्लाई की व्यवस्था सीमित निविदा द्वारा या अन्यथा प्रकार से करने के लिए स्वतन्त्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जायेगी उसकी निविदादाता से वसूली की जायेगी।

(iii) यदि क्रेता अधिकारी किन्ही निविदत्त वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।

24. बयाना राशि (अरनेस्ट मनी):–

(क) निविदा के साथ–––––––––रूपये की बयाना राशि प्रस्तुत की जावेगी । इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा । यह राशि ––––के पक्ष में निम्नलिखित में से किसी भी रूप में जमा कराई जानी चाहिए ।

(i) नकद शीर्ष "8443–सिविल निक्षेप –103" प्रतिभूति निक्षेप के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान से जमा करया जाना चाहिए ।

(ii) स्डियूल बैंक का बैंक ड्राफट/बैंकर चैक

(ख) बयाना राशि का प्रतिदाय (refund of ernest money) असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथा शक्य शीघ्र लौटाई जायेगी ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

(ग) बयाना राशि से छूट – उन फर्मो को जो निदेशक उघोग विभाग राजस्थान के पास पंजीकृत है उन मदों के सम्बन्ध में जिन के लिए वे उक्त रूप से रजिस्टर्ड की गई है उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण–पत्र या उसकी फोटो स्टेट प्रति किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर, निविदायें आमंत्रित करने की सूचना में दिखाई गई निविदा के अनुमानित मूल्य के एक प्रतिशत की दर पर बयाना राशि जमा करनी होगी ।

(ध) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपकमों को कोई बयाना राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है ।

(ड) अनुमोदन की प्रतिक्षा करने वाली या रद्द की गई गा संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बयाना राशि/प्रतिभूति निक्षेप को नई निविदाओं के लिए बयाना राशि/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा तथापित यदि निविदाओं को पुनः आमंत्रित किया जाता है तो बयाना राशि को उपयोग मे लिया जा सकता है ।

25. बयाना राशि का समपहरण : बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहरत कर लिया जायेगा –

(i) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें उपान्तरण (modification) करता है ।

(ii) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो निष्पादित नहीं करता हो ।

(iii) जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हो ।

(iv) जब वह विहित समय के लिए सप्लाई आदेश के अनुसार मदों की सप्लाई प्रारम्भ करने में असफल रहता हो ।

26. (1) करार एवं प्रतिभूति निक्षेप (Agreement and Security Deposit)–

(i) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने के 7 दिवस की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिए निविदायें स्वीकार की गयी है उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी । यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किये जाने की सूचना उसे दी गई है, 15 दिन के भीतर जमा कराई जायेगी ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

(ii) निविदा के समय जमा करायी गई बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जायेगा । प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम की नहीं होगी ।

(iii) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा ।

(iv) प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होगें–

(क) नकद/बैक ड्राफट/बैंकर चैक/चालान की रसीदी प्रति/एफडीआर

(ख) डाकघर बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत गिरवी (pledge) रखा जावेगा ।

(ग) अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डिफेन्स सेविंग्स सर्टिफिकेटस, किसान विकास पत्र, या कोई अन्य स्क्रिप्ट/विलेख यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता हो । इन प्रमाणपत्रों को उनके समपर्ण मूल्य (सरेन्डर वेल्यू) पर स्वीकार किया जाएगा ।

(v) एक समय पर खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार मदों की अन्तिम सप्लाई से एक माह के भीतर तथा यदि सुपुर्दगी के सान्तर (staggered) किया जाता है तो दो माह के भीतर उसके लिए संविदा के संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद या गारण्टी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि निविदादाता के विरूद्व कोई देय बकाये (outstanding Due) नहीं है, प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा ।

(2) (i) निदेशक – उघोग विभाग, राजस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत फर्मो को उन सामानों के सम्बन्ध में जिनके लिए वे रजिस्टर्ड है उनके द्वारा निदेशक उधोग से पंजीयन की विधिवत अनुप्रमाणित एक प्रति प्रस्तुत किए जाने पर, बयाना राशि के भुगतान से आंशिक छूट दी जायेगी तथा वे निविदा के अनुमानित मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेंगी ।

(ii) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होगें ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

(3) प्रतिभूति निक्षेप का समपहरंण – प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहत किया जाएगा –

(क) जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो ।
(ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण सप्लाई संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो ।
(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा । इस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा ।

(4) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जावेगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपत्रत (counter foil) निशुल्क प्रस्तुत की जायेगी ।

27 (i) सामान्त माल रेलवे या गुड्स ट्रान्सपोर्ट के जरिये भाडा चुका कर भेजा जावेगा । यदि सामान भेज दिया जाता है तथा उसका भाडा चुकाना होगा, जो प्रदायकर्ता (सप्लायर) के बिल में से उस भाडे के 5 प्रतिशत की दर से विभागी प्रभारों की वसूली की जावेगी ।

(ii) आर. आर. केवल बैंक के माध्यम से रजिस्टर्ड लिफाफे में भेजी जानी चाहिए ।

(iii) यदि क्रेता अधिकारी माल को पैसेन्जर ट्रेन से भिजवाने की इच्छा करता है तो सम्पूर्ण रेल का भाडा विभाग द्वारा वहन किया जावेगा ।

(iv) भुगतान करने पर किये गये प्रेषण प्रभार (Remittance charges) निविदादाता द्वारा वहन किए जावेगे ।

28. बीमा –

(i) सामान गन्तव्य गोदाम पर सही दशा में सुपुर्द किए जावेगें । यदि सप्लायर चाहे तो वह मूल्यवान सामान को चोरी, नाश या क्षय द्वारा या आग, बाड, मौसम में पडा रहने के कारण या अन्यथा (जैसै युद्व, विद्रोह, दंगे आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा । यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा यदि ऐसे व्यय किये जाते है तो राज्य से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जावेगी ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

(ii) यदि केता द्वारा चाहा गया हो तो केता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया, जाएगा । ऐसे मामलों में बीमा सदैव भारतीय जीवन बीमा निगम या उसकी सहायक शाखाओं से कराया जाना चाहिए ।

29. भुगतान

(i) दुलर्भ एवं विशिष्ट मामलों के सिवाय अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा । यदि अग्रिम भुगतान किया जा रहा हो तो वह माल प्रेषित करने के सबूत पर तथा रेल/प्रतिष्ठित गुडस ट्रान्सपोर्ट कम्पनियों आदि द्वारा वित्तीय शक्तियों में विहित की गई सीमा तक तथा पूर्व निरीक्षण, यदि कोई हो, किए जाने पर दिया जाएगा । अवशेष राशि का भुगतान माल अच्छी हालत में प्राप्त होने पर तथा निविदादाता को नहीं दिए गए उस सम्बन्ध का प्रमाण पत्र निरीक्षण के समय पृष्ठांकित किये जाने पर दिया जाएगा ।

(ii) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुदगी के लिए भुगतान निविदादाता द्वारा केता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जायेगें ।

(iii) विवादास्पद मदों के सम्बन्ध में, राशि के 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जावेगा ।

(iv) उन मामलों के सम्बन्ध में जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब वे परीक्षण कर लिए जायेगें तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होगे ।

30. (i) निविदा प्रपत्र में सुपुदर्गी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता केता अधिकारी से फर्म आर्डर के प्राप्त होने से अवधि के भीतर सप्लाई करेगा ।

(ii) परिनिर्धारित क्षति (Liquidated damages)– परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुदर्गी अवधि में वृद्वि करने के मामले में निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा तो प्रचलित नियमानुसार परिनिर्धारित क्षति प्रदायकर्ता से वसूल की जावेगी ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

(4) यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्वि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है । किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा ।

(5) यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई है तो सुपुदर्गी की अवधि में वृद्वि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी ।

31. वसूलियां – परिनिर्धारित क्षयों, कम सप्लाई, टूट फूट, रद्व की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी । कम सप्लाई , टूट फूट रद्व किए कए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर सन्तोषजनक ढग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षय (लिक्वीडेटेड डेमेजेज) के साथ वसूली उनकी देय राशि (डयूज) एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी । यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पीडी आर एक्ट या प्रवृत किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी ।

32. निविदादाताओं को यदि आवश्यक हो तो आयात लाईसेंस प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी चाहिए ।

33. यदि निविदादाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्व कर दिया जाएगा । किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकोर किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि केता अधिकारी द्वारा जारी किए गए निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लिखित न किया गया हो ।

34. केता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है , स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्व करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को स्टोर्स की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा ।

35. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा –

1) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अभिप्रमाणित प्रति ।

2) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार आफ फर्मस के पास पंजीकृत है तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

3) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर ।
4) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र ।

36. यदि संविदा के निर्वचन (Interpretation), आशय या संविदा की शर्तो के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जावेगा जो उस विवाद के लिए एक मात्र मध्यस्थ (सोल आबिट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप अधिकारी की नियुक्ति करेगा । यह उप अधिकारी इस संविदा से संबद्व नहीं होगा तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा ।

37. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा राजस्थान में जयपुर स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated............. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ____________________

The designation and address of the Second Appellate Authority is ____________________

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

- (i) hear all the parties to appeal present before him; and
- (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....

Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:
....
....
.... (Supported by an affidavit)

7. Prayer:
....
....
....

Place ....

Date ....

Appellant's Signature

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. **Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.